

सेवा में,

माननीय प्राचार्य महोदय,  
केन्द्रीय विद्यालय नं.1 बजाज नगर,जयपुर।

**विषय :-विद्यालय भवन एवं उसके परिसर में बागवानी कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत करने बाबत।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में प्रार्थना है कि फर्म द्वारा विद्यालय भवन एवं उसके परिसर में बागवानी कार्य के लिए विद्यालय द्वारा निर्धारित निम्न सभी शर्तों को मानते हुए बागवानी कार्मिकों की आपूर्ति करने के लिये आवेदन प्रस्तुत है :-

1. फर्म प्रपत्र 3 (राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान 1958)का धारक है जिसकी संख्या ..... (प्रपत्र Annexure.1में संलग्न है) । है
2. जी.एस.टी. संख्या की प्रतिलिपि Annexure.2 में संलग्न है।
3. पेन संख्या की प्रतिलिपि Annexure-3में संलग्न है।
4. EPFसंख्या की प्रतिलिपि Annexure-4में संलग्न है।
5. ESI संख्या की प्रतिलिपि Annexure- 5 में संलग्न है।
6. निविदा के साथ प्रस्तुत(Earnest Money) के रूप में रुपये 5,000/- (रु पाँच हजार मात्र)का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक जो "VVN A/c K.V. No.1, Jaipur के पक्ष में जयपुर शाखा पर देय है संलग्न है ।
7. फर्म के पक्ष में निविदा खुलने पर अनुबन्ध के समय सुरक्षा निधि के रूप में कुल रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र )जमा कराए जाएंगे । फर्म द्वारा जमा कराई गई Earnest Money राशि रुपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) के अतिरिक्त फर्म द्वारा रुपये 45,000/- (रुपये पैतालीस हजार मात्र)डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा विद्यालय में जमा करवाए जायेंगे । अर्थात् जिस फर्म के साथ बागवानी का अनुबंध होता है उसकी ओर से अनुबन्ध के समय जमा सुरक्षा निधि के रूप में विद्यालय में कुल रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) 31.01.2022 तक जमा रहेंगे ।फर्म द्वारा अनुबंध का किसी भी तरह से खंडन/उल्लंघन करने पर सुरक्षा निधि की राशि विद्यालय द्वारा जब्त कर ली जाएगी ।
8. फर्म द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है कि फर्म केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर में से जो भी अधिक होगी, उस दर से सम्पूर्ण समयावधि (01.12.2020से 30.11.2021) के लिए मेरी फर्म कार्मिकों को भुगतान करेगी। फर्म श्रम विभाग के सभी दायित्वों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी। किसी भी प्रकार की कमी के लिये तथा सभी दायित्वों की अनुपालना करने के लिये फर्म तथा उसका मालिक व्यक्तिगत रूप से कानूनन उत्तरदायी रहेगे। अनुबन्ध अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि होने पर विद्यालय द्वारा फर्म को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
9. बगवानी कार्य की दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से विद्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ भरकर दी गयी है । फर्म ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि विद्यालय द्वारा फर्म की कोई भी नई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी ।
10. उपर्युक्त कार्य के लिए निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर विद्यालय को अमानत राशि (Earnest Money) जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. विद्यालय द्वारा बिल की राशि में से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार टी.डी.एस. एवं अन्य टैक्स काटकर भुगतान किया जायेगा।
12. EPF एवं ESI की राशि कार्मिक के खाते में प्रतिमाह जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा उसकी रसीद व EPF पास बुक विद्यालय को प्रतिमाह प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक कार्मिक का EPF एवं ESI खाता संख्या पूर्ण रिकॉर्ड सहित विद्यालय में जमा करवा दिया जायेगा।फर्म ने यह समझ लिया है कि विद्यालय द्वारा (FORMAT OF BID)के कॉलम संख्या 7 के आधार पर निविदा की दरे अंतिम की जायेगी।
13. फर्म द्वारा नियुक्त किये गये सभी कार्मिकों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन फर्म द्वारा करवाकर विद्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
14. फर्म द्वारा नियुक्त किये गए सभी कार्मिकों का चरित्र एवं व्यवहार विद्यालय की गरिमा के अनुरूप रहेगा । शराब पीकर विद्यालय में ड्यूटी पर आना/धूम्रपान करना/गुटखा खाना/किसी भी तरह का नशीले पदार्थ का उपयोग कर विद्यालय में बागवानों के आने पर अमानत राशि जब्त कर ठेका रद्द कर दिया जाएगा ।
15. बगवानी कार्य के दौरान प्रत्येक कार्मिक का आई.डी. कार्ड साथ में रहेगा।
16. बागवानी कार्य पर नियुक्त किया जाने वाला कोई भी कार्मिक 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगा।
17. प्रत्येक बागवानी कार्मिक को सप्ताह में एक दिन का आराम (Rest) दिया जायेगा। परन्तु विद्यालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान वास्तविक कार्य दिवसों का ही किया जायेगा।कार्मिक को रैस्ट देने पर उसके स्थान पर दूसरा बागवानी कर्मी फर्म को विद्यालय में बागवानी कार्य के लिये भेजना होगा।
18. सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर विद्यालय द्वारा ठेका रद्द करने तथा फर्म की जमानत राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
19. विद्यालय पर सेवा कर लागू होने की स्थिति में सेवा कर जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी। फर्म द्वारा सेवा कर जमा करवाने की रसीद प्रस्तुत करने पर विद्यालय की सेवाओं पर भुगतान की गई सेवा कर राशि प्रतिमाह विद्यालय द्वारा फर्म को भुगतान कर दी जायेगी।



20. विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों का इ.पी.एफ. एवं इ.एस.आई. जमा रसीद की प्रतिलिपि विद्यालय में जमा करवाने पर इ.पी.एफ. एवं इ.एस.आई. का विद्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा।
21. भारत सरकार के श्रम मंत्रालय सहित अन्य सभी कानूनों की अनुपालना फर्म द्वारा की जाएगी।
22. विद्यालय में इयूटी के दौरान किसी भी बागवानी कार्मिक की किसी भी प्रकार की हानि/दुर्घटना होने पर विद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा। उसके लिये फर्म अथवा स्वयं कार्मिक उत्तरदायी रहेंगे।
23. कार्मिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान फर्म द्वारा रेखांकित चेक से किया जाएगा। कार्मिकों का बैंक खाता विद्यालय परिसर में स्थित केनरा बैंक की शाखा में फर्म द्वारा खोला जाएगा। कार्मिकों के खाते में रेखांकित चेक से जमा राशि की प्रविष्टि पास बुक में दर्ज करवाकर पास बुक की फोटोकॉपी अगले माह के बिल के साथ जमा करायानी होगी।
24. फर्म की बागवानी कार्य के दौरान विद्यालय में किसी भी प्रकार की हानि या चोरी होने पर विद्यालय को हुई हानि की राशि का सम्पूर्ण भुगतान फर्म द्वारा विद्यालय को किया जाएगा। इस हानि या चोरी की राशि सुरक्षा निधि एवं बकाया बिलों से समायोजित कर ली जायेगी। हानि या चोरी की राशिसुरक्षा निधि एवं बकाया बिलों की कुल राशि से अधिक होने पर फर्म एवं प्रोपराईटर द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति से हानि की राशि का भुगतान विद्यालय को करना होगा। अतः फर्म एवं प्रोपराईटर द्वारा यह समझ लिया गया है कि बागवानी कार्य के अनुबन्ध के दौरान सम्पूर्ण हानि या चोरी की राशि विद्यालय को भुगतान के लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहेगी।
25. विद्यालय में प्रतिदिन कम से कम 03 (02 पुरुष एवं 01 महिला) कार्मिक बागवानी व्यवस्था के लिये आपूर्त करने होंगे जो प्रतिदिन कम से कम 08 घण्टे कार्य करेंगे। कार्य करने का समय विद्यालय की आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर दिया जायेगा। 08घण्टे कार्य नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मजदूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
26. बागवानी कार्य में उपयोग आने वाले सभी औजार ठेकेदार के होंगे। जिसमें फावड़े, कुदाल, गेती, दातली, दुब काटने की मशीन, इत्यादी अन्य सभी उपकरण ठेकेदार के होंगे।
27. खाद, बीज, पेड़, पौधे, गमले, दुब इत्यादी माल की आपूर्ति विद्यालय द्वारा की जायेगी। पानी देने के पाईप की व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जायेगी। पाईप लाइन का उपयोग करते समय सब मर्सिबल पम्प में कोई हानी होती है तो उसकी क्षति पूर्ति ठेकेदार की होगी।
28. बागवानी कार्य में विद्यालय परिसर में पेड़ पौधों की छाटाई करना, खेल मैदान को दूब से हरा भरा रखना, पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों से गिरे हुए पत्तों को सफाई कर नियत स्थान पर जलाना, पेड़ पौधों एवं दुब को सँवारना, उनमें पानी एवं खाद देना, विद्यालय परिसर में अनावश्यक उगी हुई घास को हटाना, विद्यालय भवन पर उगे हुए अनावश्यक पौधों को हटाना, इत्यादि कार्य करने का दायित्व अनुबन्धक का होगा।
29. बागवान कुशल(बागवानी कार्य जैसे पौधे लगाना, गुड़ाई करना, पेड़ पौधों की छाटाई करना, खाद एवं बीज के उपयोग का ज्ञान रखना, पौधों में पानी देना इत्यादी कार्य में दक्ष हो) होना चाहिए।
30. किसी भी दिन बागवान नहीं होने पर उस दिन का भुगतान फर्म को नहीं किया जायेगा। उस दिन की न्यूनतम मजदूरी प्रोपराईटर द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्मिक को भुगतान किया जायेगा।
31. सम्पूर्ण विद्यालय परिसर की बागवानी कार्य के प्रबन्ध का दायित्व फर्म एवं प्रोपराईटर का होगा। बागवानी व्यवस्था उत्तम नहीं होने पर विद्यालय द्वारा सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर ठेका रद्द करने का कानूनन हक विद्यालय के पास सुरक्षित है।
32. फर्म द्वारा कार्मिकों को भुगतान प्रधान नियोक्ता या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष किया जाएगा। फर्म द्वारा कार्मिकों को किये गये भुगतान का प्रमाण-पत्र फर्म द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
33. निविदा की वैधता निविदा के शुरू होने की तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी। फर्म द्वारा दी जा रही सेवाओं से सन्तुष्ट होने की स्थिति में समयावधि दोनों पक्षों की सहमति से एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकती है।
34. टेलैक्स/प्रतिकृति निविदा स्वीकृत नहीं होगी तथा प्रत्येक निविदा दाता की केवल एक ही निविदा स्वीकार की जायेगी।
35. मुहरबंद निविदाएं दिनांक 02.11.2020 से 20.11.2020तक (दिनांक20.11.2020 को दोपहर 01:00 बजेतक) विद्यालय कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा स्वीकार की जायेगी। प्राप्त निविदाएं दिनांक 20.11.2020 को दोपहर 02:00 बजे विद्यालयमेंउपस्थित निविदा दाताओं एवं समिति के समक्ष प्राचार्य कक्ष में खोली जायेगी।
- 36-निविदाएँ केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकृत की जाएँगी/व्यक्तिश निविदाएँ स्वीकृत नहीं होंगी।
37. निविदा कर्ता प्रत्येक कार्य (सेवाओं) के लिए अलग-अलग आवेदन करेगा।
38. निविदाकर्ता को निविदा की शर्तें एवं अन्य दस्तावेज अलग से बंद लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे तथा फार्मेंट ऑफ बिड के साथ अमानत राशि व निविदा शुल्क रुपये 200 की जमा पर्ची संलग्न कर अलग बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी तथा दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील कर लिफाफे के ऊपर जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की है अंकित करना होगा।
39. निविदा शुल्क रुपये 200 प्रतिकार्य के लिए विद्यालय में विद्यालय विकास निधि के.वि.कमांक -1 जयपुर के नाम खाता संख्या 369202010070408 आई एफ एस सी कोड UBIN0536920 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जयपुर में जमा कराने के पश्चात जमा रसीद निविदा प्रपत्र के फार्मेंट ऑफ बिड के साथ संलग्न करनी होगी। जो निविदा कर्ता निविदा शुल्क जमा नहीं करायेगा उसकी निविदा स्वीकार नहीं होगी और निविदा निरस्त करने का अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
40. उपरोक्त सहित अन्य सभी शर्तें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार मान्य होगी।
41. उपर्युक्त सभी शर्तें प्रोपराईटर एवं फर्म द्वारा व्यक्तिगत रूप से समझ ली गई हैं एवं मान्य हैं। फर्म द्वारा निर्धारित प्र-पत्र (FORMAT OF BID) (जो निविदा प्रपत्र के विन्दु संख्या 42) में प्रस्तुत की गई दरे सभी शर्तें मान्य होने के बाद ही प्रस्तुत की गई हैं।



# FORMAT OF BID

S. No.	Category of Manpower	Remuneration per day per person (in Rs.)	EPF Rate (in Rs.) per day per person. As per prescribed by EPF Department as on date	ESI Rate (in Rs.) per day per person As per prescribed by ESI Department as on date	Service Charges/Charges of Uniforms/Bonus etc. including overhead profit (in Rs.) per day per person	Total (Col. No. 3&6) (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
1	बगवानी कार्य हेतु कुशल कार्मिक					
2	बगवानी कार्य हेतु अकुशल कार्मिक					

नोट :-

1. सेवा शुल्क की दर बिड के कॉलम संख्या 03 पर निर्धारित की जायेगी। जो कि राशि ..... है।
2. सेवा कर की राशि FORMAT OF BID में सम्मिलित नहीं है। लागू होने की स्थिति में विद्यालय अलग से भुगतान करेगा।
3. बिड फार्मेट के कॉलम संख्या 06 में सेवा शुल्क रुपये 1.00 से कम भरने पर निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
- 4- अनुबन्ध की अवधि के दौरान न्यूनतम मजदुरी दर बढ़ने पर फर्म द्वारा कार्मिकों को बढी हुई दर पर भुगतान किया जायेगा। विद्यालय द्वारा भी फर्म को बढी हुई दर पर ही भुगतान किया जायेगा।
- 5- कॉलम संख्या-7 में 02 या 02 से अधिक फर्मों की दरें समान रहने पर किसी भी एक फर्म को अनुबन्ध देने का अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। जिसकी मुझ प्रोपराईटर को कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मेरा कानूनी अधिकार रहेगा।
- 6- विद्यालय द्वारा FORMAT OF BID के कॉलम संख्या 7 के आधार पर निविदा की दरें अंतिम की जायेगी।

मैं तथा मेरी फर्म निविदा प्रपत्रमें उपर्युक्त उल्लेखित सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकार करते हुए अनुबन्धित हूँ। जिसके लिए निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि (Earnest Money) के रूप में रु. 5,000/- (रु. पाँच हजार मात्र) की राशि का बैंकर्स चेक/डी.डी. सं. .... दिनांक .....संलग्न है।

## संलग्न दस्तावेजों का विवरण :-

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

भवदीय,  
 प्रोप्राईटर के हस्ताक्षर .....  
 प्रोप्राईटर का नाम .....  
 फर्म का नाम .....  
 फर्म का पता .....  
 फोन नं. ....  
 GST No .....  
 PAN No. ....  
 फर्म की मोहर .....